

## भारतीय रिज़र्व बैंक

## RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

लाईसेंस सं. एमयूएम : 134

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जना स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड को एतद् द्वारा अप्रैल 28, 2017 के कार्यालय पत्र बैविवि.एनबीडी.(एसएफबी – जेएफएस) सं 12881 / 16.13.216 / 2016-17 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया जाता है।

Licence No. MUM: 134

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 22 (1) of the Banking Regulation Act, 1949, **Jana Small Finance Bank Limited** is hereby granted a licence to carry on small finance bank business in India subject to the terms and conditions mentioned in the office letter DBR.NBD. (SFB-JFS).No. 12881 / 16.13.216 / 2016-17 dated April 28, 2017.

एस. एस. बारिक) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

(S.S. Barik) Chief General Manager-in-Charge

Department of Banking Regulation

Issam Land Barion

भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 दिनांक: अप्रैल 28, 2017

Central Office Mumbai – 400 001

Reserve Bank of India .

Dated: April 28, 2017

